प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकरण सं 1870/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 22.07.2025

निर्णय पारित किया गयाः25.09.2025

1 – बुधराम सिंह @लल्लू पुत्र रामदास गोंड, 23 वर्ष , सुंदरपुर (पत्रपारा), पुलिस थाना सोनहाट, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी (ओं)

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा, सोनहाट, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी (ओं) हेतु:सुश्री रीना सिंह, विधिक सहायता के द्वारा ,

उत्तरवादी हेतु :श्री देवेश केला, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

सी ए वी निर्णय

रजनी दुबे न्यायाधीश के अनुसार

1. यह अपील माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) और पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 के तहत विशेष न्यायाधीश, बैकुंठपुर, जिला कोरिया (सी.जी.) द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 25/2017 में दिनांक 04.11.2019 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता को पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 और आईपीसी की धारा 366 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया है

और क्रमशः 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1000 रुपये का जुर्माना, 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 500 रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न भरने पर अन्य दंडों का प्रावधान है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि मृतक की माता ने संबंधित पुलिस थाना में लिखित परिवाद दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मृतक, अर्थात् उनकी नाबालिग पुत्री को अपीलकर्ता ने विवाह का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर में रात भर रखा और उसके साथ बलात्कार किया। विवाह से बचने के लिए मृतक को चाय में जहर मिलाकर पिलाया गया और अपीलकर्ता के माता-पिता, रामदास (पिता) और श्यामजीरा (माता) ने जानबूझकर मृतक को अपने घर में रखा और अपीलकर्ता के साथ मिलीभगत से अपराध किया।इसके बाद आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अन्वेषण पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, निचली अदालत ने अपीलकर्ता के माता-पिता को बरी कर दिया और अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया, जैसा कि निर्णय के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के विपरीत है।अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के बयानों में महत्वपूर्ण कमियां और विरोधाभास हैं।अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे किसी भी उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। दूसरी ओर, मुख्य साक्षी जैसे कि अ. स. संख्या 1, अ. स. संख्या 3, अ. स.संख्या 5 और अ. स.संख्या 6 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच प्रेम संबंध था।अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 302 तथा बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा है।वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध केवल सामान्य और व्यापक आरोप ही लगाए गए हैं। विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके गलती की कि अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया।अतः, अपील स्वीकार की जानी चाहिए। इस मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सीआरए संख्या 163/2010 में पारित निर्णय (दिनांक 04.01.2024)** और इस न्यायालय द्वारा नीरज जांगड़े उर्फ नीरजा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 1615/2022 में पारित निर्णय (दिनांक 07.02.2024) पर भरोसा किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान राज्य के वकील ने विवादित फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से मूल्यांकन किया है और अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया है।अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 368 (धारा 34 के साथ), 376, 328 (धारा 34 के साथ) और धारा 302 (धारा 34 के साथ) तथा पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप निर्धारित किए थे और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद विचारण न्यायालय ने सह–आरोपियों, जो अपीलकर्ता के माता–पिता हैं, को दोषमुक्त कर दिया तथा अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए दंड पारित किया गया, जैसा कि निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेख किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय पीड़ित की आयु लगभग 15–16 वर्ष थी।अभियोजक (पीडब्लू–5) की माँ ने कहा कि घटना के समय उनकी पुत्री की उम्र लगभग 16 वर्ष थी तथा उसका जन्म कार्तिक महीने में हुआ था, परंतु वह सटीक महीने तथा वर्ष नहीं जानती है।प्रतिपरीक्षा में, उसने यह कथन किया है कि उसके दादा ने अभियोजक को स्कूल में कक्षा–1 में भर्ती कराया था तथा उसे नहीं पता कि किस आधार पर उसने स्कूल में अभियोजक की जन्म तिथि दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पीड़िता के पिता (पीडब्लू–6) ने यह बताया कि घटना के समय उनकी पुत्री की उम्र लगभग 16 वर्ष थी,परंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पीड़िता की जन्मतिथि याद नहीं है।

9. डुमरियापाड़ा के प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक पीडब्लू–9 रामबचन सिंह ने कहा कि पुलिस ने स्कूल का प्रवेश छुट्टी रजिस्टर जब्त कर लिया है, जो कि एक्स पी/16 है।इस रजिस्टर में, सरल क्रमांक 99 पर पीड़िता का नाम दर्ज था और इस रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 06.04.2001 है और उसे 18.06.2007 को कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि इस रजिस्टर के अनुसार माता का नाम हीरमानिया दर्ज है और उसने यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता के प्रवेश के समय उसके माता–पिता द्वारा उसकी जन्मतिथि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।पीड़िता के माता–पिता और शिक्षक के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई निर्णायक और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि शिक्षक (पीडब्लू–9) ने स्वीकार किया है कि रजिस्टर में माता का नाम हीरमानिया दर्ज था और गवाह–5 के बयान से यह स्पष्ट है कि उनका नाम अलग था और उनका असली नाम प्रवेश–मुक्ति रजिस्टर में पीड़िता की माता के रूप में दर्ज नहीं था। इस प्रकार, यह संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है कि प्रदर्श–पी/16 में पीड़िता की माता का नाम दर्ज था या नहीं। शिक्षक ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रवेश के समय, उसके माता–पिता द्वारा कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है।

10. अन्य आरोपों के संबंध में, सबसे पहले हमें यह विचार करना होगा कि मृतक की मृत्यु हत्या थी या नहीं

11. पी डब्ल्यू संख्या 4 दिनेश कुमार, जिला अस्पताल, बैकुंठपुर के वार्ड बॉय ने बताया कि उन्होंने डॉ. जी.एस. को लिखित सूचना दी थी।पैकरा ने बैकुंथपुर पुलिस थाना, जो कि एक्स-पी/6 है, को सूचित किया तथा इस सूचना के अनुसार, पुलिस थाना द्वारा एक्स-पी/7 के रूप में विलय की सूचना दर्ज की गई थी। उन्होंने उसी के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

12. डॉ. जी. एस. पैकरा (पीडब्लू-19) ने बताया कि 15.11.2017 को उन्होंने बैकुंठपुर पुलिस स्टेशन को 18 वर्ष से अधिक आयु की मृतक महिला की मृत्यु की सूचना दी, जिसे 13.11.2017 को जहर (चूहे मारने की दवा) के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसकी मृत्यु 15.11.2017 को सुबह 8:55 बजे हुई थी। उन्होंने वार्ड बॉय दिनेश कुमार के माध्यम से सूचना भेजी, जो कि दस्तावेज़ संख्या 6 है और उन्होंने इसके 'ए' से 'ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की।

13. सत्येंद्र तिवारी, हेड कांस्टेबल -पीडब्लू-15 ने बताया कि उन्होंने दिनेश कुमार के माध्यम से डॉ. जी. एस. पैकरा की सूचना के अनुसार विलय की सूचना दर्ज कराई और गवाहों को दस्तावेज़ संख्या 9 ए के माध्यम से नोटिस दिया और गवाहों के समक्ष दस्तावेज़ संख्या 9 ए के माध्यम से जांच ज्ञापन तैयार किया और दस्तावेज़ संख्या 10 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए आवेदन भी दिया और दस्तावेज़ संख्या 26 के माध्यम से अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. डॉ. जी. एस. पैकरा (पीडब्लू-19) ने मृतक का शव परीक्षण किया तथा उन्होंने मृतक को लगी आंतरिक तथा बाहरी चोटों पर चर्चा की:---

परीक्षण मे मैने पाया कि शरीर पर अकडन आ चुका था "3-.. जो कि उसके दोनो हाथ एवं पैर में मौजूद था। उसके दोनो आख बद एव पुतली फैली हुई होकर स्थिर थी मुह बद था मुह के दाहिने कोने से लार एवं झाग मौजूद था लार एवं झाग नाक के दोनो छिद्र से आ रहा था। मृतिका की दोनो हाथ फैली हुई थी तथा मुठी आधी बद थी। हाथ के अगुलियों एवं नाखून के उपर नीलापन (साइनोसिस) आ चुका था। मृतिका के दोनो पैरफैले हुऐ थे तथा जननाग स्वस्थ थे।

4-आतरिक परीक्षण पर मैने पाया कि मृतिका के मस्तिष्क एव मस्तिष्क की झिल्ली स्वस्थ एव रक्त मय थे। पर्दा पसली, कोमलस फुफ्फुस, बाया फेफडा बृहद वाहिका स्वस्थ थे तथा कठ एव श्वास की नली पर झाग मौजूद था।दाया फेफडा रक्तमय था हृदय के दोनो भाग पर रक्त मौजूद था।

5-उदर का पर्दा आतो की झिल्ली, मुह ग्रासनली एव ग्रसनी स्वस्थ थे। पेट के भीतर अनपचा चावल तथा छोटी एव बडी आत पर मल मौजूद थे। यकृत प्लीहा एव गुर्दा रक्त मय था। मुत्राशय स्वस्थ था, गर्भाशय स्वस्थ होकर सामान्य आकार का था। यौनि पर हाथ की दो अगुलिया आसानी से जा रहा था। मृतिका की मासपेशिया और हडडी स्वस्थ थे।"

शव परीक्षण पश्चात् उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण दम घुटना है जिसके परिणामस्वरूप विषाक्तता के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, परंतु मृत्यु का सही कारण विसरा अन्वेषण रिपोर्ट के पश्चात् दिया जा सकता है तथा मृत्यु की प्रकृति अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर निर्भर करती है तथा एक्स-पी/31 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट देती है।

15. अनुच्छेद एफ एंड जी में एफएसएल रिपोर्ट (एक्स-पी/48) के अनुसार, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, गर्भाशय तथा पेट तथा छोटी आंत के टुकड़े पाए गए। आर्टिकल एच में, नमक का घोल पाया गया तथा लेख-I में, रैटोल ट्यूब में नारंगी रंग का पेस्ट पाया गया।आर्टिकल एफ, जी एंड आई में पीला फॉस्फोरस पाया गया तथा लेख एच में रासायनिक जहर नहीं पाया गया था।

16. इस प्रकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/31) और एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/48) के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मृतक की मृत्यु विष के कारण हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉ. जी. एस. पैकरा (पी डब्लू -19) ने यह राय नहीं दी कि मृतक की मृत्यु हत्या है या आत्महत्या। उन्होंने कहा कि मृत्यु की प्रकृति अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों पर निर्भर करती है, इसलिए हमें अन्य साक्ष्यों पर अत्यंत सावधानी से विचार करना होगा।

17. पी डब्लू -1 शिवधारी ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह लगभग 7 बजे जब वह बुधराम के चाचा के घर काम से जा रहा था, तब उसने देखा कि मृतक बुधराम के घर से बाहर निकलते समय लड़खड़ा रही थी और खेत की सीमा पर बैठी थी। तब वह मृतक के घर गया और उसके माता-पिता को बताया कि मृतक लड़खड़ा रही है, फिर वह अपने काम पर चला गया।

जब वह काम से लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि मृतक को बैकुंठपुर अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उसे पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है।मृतक की माँ ने अपनी पत्नी को बताया कि बुधराम ने उसे चाय में जहर दिया है।अभियोजन पक्ष ने उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किया तथा उससे जिरह की, फिर उसने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि मृतक ठोकर खा रहा था तथा नीचे गिर रहा था तथा धड़क रहा था, परंतु उसने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि बुधराम ने उसे 12.11.2017 पर शादी का प्रलोभन दिया था तथा उसे अपने घर ले गया था।उन्होंने उसी के ए से ए भाग पर एक्स-पी/3 के माध्यम से अपने पुलिस बयान का खंडन किया।उन्होंने बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने मृतक के साथ किसी भी तरह की बात नहीं की थी तथा केवल उसे मैदान की सीमा में बैठे हुए देखा था।18. पुष्पेंद्र कुमार (पीडब्लू-2) ने बताया कि उसके पास बोलेरो वाहन है तथा उजीत के कहने पर, पीड़ित का भाई, वह मृतक को इलाज हेतु जिला अस्पताल, बैकुंथपुर ले गया तथा उस समय पीड़ित बेहोश था।अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षा की,लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों से इनकार किया और अपने पुलिस बयान (एक्स पी/4) के ए से ए भाग तक के सभी बिंदुओं से भी इनकार किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. पीडब्लू- 3 जगशीला ने बताया कि 12.11.2017 को दोपहर 3 बजे बुधराम उसकी मौसी (मृतक की मां) के घर आया और जब उसकी मौसी घर आई, तो उसने मृतक और बुधराम को एक साथ देखा और मृतक से शादी की बात करके वापस अपने घर चली गई। इसके बाद शाम को वह फिर से उसकी मौसी के घर आया और मृतक को अपने घर ले गया, जो घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसके बाद उसने और उसकी मौसी ने उसकी मौसी को इसकी सूचना दी। फिर वे आरोपी के घर गए, जहां दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से बातचीत की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद वे अपने घर लौट आए।उसने आगे बताया कि अगले दिन शिवधारी आई और बताया कि मृतक आरोपी के दरवाजे पर लड़खड़ा रही है। इस पर उसकी मौसी वहां गई और मृतक को अपने साथ ले आई। मृतक ने उन्हें बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने चाय में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि मृतक ने खुद जहरीले पदार्थ पीने की बात कही थी।उसने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसकी मौसी ने मृतक को इस बात पर डांटा था कि वह आरोपी को अपने घर क्यों बुलाती है।उसने यह भी स्वीकार किया कि जहर खाते समय उन्होंने मृतक को नहीं देखा था।उसने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि बयान देने हेतु उसकी चाची तथा चाचा ने उसे बताया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. मृतक की मां (पीडब्लू-5) ने बताया कि 6-7 महीने पहले आरोपी उनके घर आया था और जब वह काम से घर लौटीं तो उन्होंने आरोपी को अपनी बेटी के साथ गलत काम करते देखा। जब उसने उन्हें देखा तो उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसने कहा कि वह उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और अपने घर चला गया। इसके बाद शाम को वह फिर उनके घर आया और मृतक को अपने घर ले गया, जो घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसके बाद वह अपनी भतीजी और पति के साथ आरोपी के घर गईं, जहां दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से बातचीत की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद वे अपने घर लौट आईं।अगले दिन, पीडब्लू 1 शिवधारी अपने घर आई और बताया कि मृतक बुधराम के घर से निकलते समय लड़खड़ा रही थी और खेत की सीमा पर बैठी थी। तब वह आरोपी के घर गई, जहाँ उसने मृतक को लड़खड़ाते हुए देखा और पूछने पर मृतक ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है और चाय में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया है। इसके बाद वे मृतक को इलाज के लिए बैकुंठपुर अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा उसकी बेटी को जहर दिए जाने के बारे में बताया था।सने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी बेटी को बुधराम को घर में बुलाने से मना किया था।उसने यह भी स्वीकार किया कि एक दिन पहले आरोपी उसके घर में छिपा हुआ था।उसने स्वयं कहा कि बुधराम उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कंडिका 16 में उसने कहा कि मृतक को अपने साथ ले जाते समय उन्होंने आरोपी को नहीं देखा था।उसने यह भी स्वीकार किया कि वे आरोपी के घर के अंदर नहीं गए थे और उसने यह भी स्वीकार किया कि घर के अंदर कौन था, यह उसने नहीं देखा और बातचीत के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि मृतक अंदर है।

उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतक ने जहर कैसे खाया, यह उसने नहीं देखा।उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतक के विवाह को लेकर घर में कलह चल रही थी और वह अक्सर विचलित रहती थी।

21. पीडब्लू-6, पीड़िता के पिता ने भी यही कहानी बताई कि शिवधारी की सूचना पर वे उसकी बेटी को अपने घर ले गए और फिर उसे अस्पताल ले गए जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष ने उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किया तथा उससे जिरह की, फिर उसने अभियोजन पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया कि वे अपनी पत्नी तथा भतीजी जगशीला के साथ आरोपी के घर गए थे, जहां दरवाजा अंदर से बंद था तथा अंदर से बात करने का शोर आ रहा था, जिस पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया परंतु किसी ने दरवाजा नहीं खोला तथा उसकी बेटी दरवाजे के अंदर हो सकती है।उन्होंने स्वयं कहा कि बेटी का शोर सुनाई नहीं दे रहा था।उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वह आरोपी से विवाह करना चाहती थी और उनकी अनुपस्थिति में उसकी बेटी और आरोपी एक-दूसरे से बात करते थे और उनके बीच प्रेम संबंध था।उसने यह भी स्वीकार किया कि वे उसकी विवाह हेतु एक लड़के की तलाश कर रहे थे।उन्होंने यह बात भी स्वीकार की कि आरोपी के घर जाते समय उन्होंने अपनी बेटी को नहीं देखा और रात में दरवाजा खटखटाने पर जब उसने दरवाजा नहीं खोला, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी बेटी घर के अंदर ही होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. धानी सिंह (पीडब्लू--8) ने बताया कि पीड़िता की मां ने उन्हें बताया कि आरोपी उनकी बेटी को अपने घर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे चूहे मारने की दवा पिला दी।

23. द्वारिका सिंह (पीडब्लू--11) ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों से पता चला कि आरोपी मृतक को अपने घर ले गया और उसे जहर पिलाया।पुलिस ने आरोपी के घर के पीछे गोबर के गड्ढे से गोबर का पेस्ट बरामद किया है और इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं है।उन्होंने आरोपी के ज्ञापन (पूर्व-पी/19), जब्ती ज्ञापन (पूर्व-पी/20 तथा पी/21) तथा गिरफ्तारी ज्ञापन (पूर्व-पी/22 तथा पी/23) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। अभियोजन पक्ष ने उसे विरोधी गवाह घोषित कर उससे जिरह की। तब उसने यह बात स्वीकार की कि पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की थी, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि आरोपी ने मृतक को चूहे मारने का जहर दिया था।उसने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसे बताया था कि बचा हुआ जहर गोबर के गड्ढे में फेंक दिया गया था।उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे उसके सामने पूछताछ नहीं की थी।उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने गोबर के गड्ढे से जहर का पेस्ट जब्त किया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि मृतक ने जहर क्यों खाया।

24. ज्ञापन और ज़ब्ती के एक अन्य साक्षी, पीडब्ल्यू-13 इंद्रलोक सिंह ने आरोपी के ज्ञापन (एक्स पी/19), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ 20 और एक्स पी/21) और गिरफ्तारी ज्ञापन (एक्स पी/ 22 और एक्स पी/ 23) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया। हालांकि, उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने उनके सामने पूछताछ नहीं की और न ही उनके सामने कुछ ज़ब्त किया।

25. डॉ. सुरेंद्र पेनकरा (पीडब्ल्यू-14) ने बताया कि 13.11.2017 को सुबह लगभग 11 बजे पीड़िता को उसके माता-पिता/रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल लाया गया और उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।उनका रक्तचाप 130/90 था तथा नाड़ी की दर 70 प्रति मिनट थी तथा उनके द्वारा उनका इलाज किया गया था।उसके इलाज का प्रिस्क्रिप्शन एक्स-पी/25 है तथा उसने बचाव के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके रिश्तेदारों ने उसे बताया कि उसने चूहे को जहर दिया था।

26. समस्त साक्षीयों के गहन जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 12.11.2017 को पीड़िता की मां (पीडब्ल्यू-5) ने पीड़िता और आरोपी को अपने घर में पकड़ा था और पीडब्ल्यू-5 के अनुसार आरोपी उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था।कुछ समय पश्चात् ,आरोपी अपने घर से चली गई और पीड़िता घर से बाहर आकर चबूतरे पर बैठ गई। (पीडब्ल्यू5) पीड़िता की मां और (पीडब्ल्यू 6) पीड़िता के पिता के अनुसार, पीड़िता लापता थी, इसलिए वे आरोपी के घर गए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि पीड़िता घर के अंदर ही होगी। अगले दिन सुबह, (पीडब्ल्यू 1) शिवधारी ने पीड़िता को आरोपी के घर के सामने लड़खड़ाते हुए देखा, इसलिए उसने उसके माता-पिता को सूचित किया और अपने काम पर चला गया।पीडब्लू- 5 और 6 (पीड़िता के माता-पिता) के अनुसार, वे उसे अपने घर लाए और उसका पानी पीने के बाद उसे अस्पताल ले गए।डॉ. पैकरा (पीडब्ल्यू-14) के अनुसार, जब पीड़िता को उसके रिश्तेदारों द्वारा लाया गया, तो उन्होंने बताया कि उसने चूहे मारने की दवा खा ली थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया (एक्स पी/25 के अनुसार)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. पूरी कहानी में, किसी ने भी पीड़िता को आरोपी के घर जाते हुए नहीं देखा और माता-पिता ने केवल अनुमान लगाया कि पीड़िता आरोपी के घर में थी।एफएसएल रिपोर्ट (एक्स-पी/45) के अनुसार, हालांकि पीड़िता की योनि स्लाइड में हाइमन शुक्राणु पाए गए, लेकिन केवल इस रिपोर्ट के आधार पर यह साबित नहीं होता कि पीड़िता घटना से पहले वाली रात को आरोपी के साथ थी।पीड़िता की मां ने स्वयं स्वीकार किया कि उसी दिन उसने आरोपी और पीड़िता को अपने घर में देखा था और उसने स्वयं बताया कि आरोपी उसके साथ गलत काम कर रहा था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और पीडब्लू-5 के अनुसार आरोपी ने मृतक को चाय में जहर दिया था, लेकिन अपने पुलिस बयान (एक्स-डी /1) तथा सीआरपीसी की धारा 164 (एक्स-पी/14) के तहत दर्ज बयान में, उसने कहा कि पीड़िता ने खुद कहा कि आरोपी ने चाय में कुछ मिलाया तथा उसे पिलाया।

28. मृत्यु समीक्षा (एक्स-पी/10) से यह स्पष्ट है कि 15.11.2017 को मृत्यु समीक्षा ज्ञापन के समय, पीड़ित की मां पी.डब्ल्यू.-5 और पीड़ित के पिता पी.डब्ल्यू.-6 सभी साक्षी के साथ उपस्थित थे और जांच ज्ञापन (एक्स पी/ 10) में लिखा था कि 'हमने जांच के बाद पाया है कि मृतक की मृत्यु जहर खाने से हुई है और सटीक कारण जानने के लिए हम शव के पोस्टमार्टम की सिफारिश करते हैं।यह स्पष्ट है कि उस समय दोनों अभिभावकों ने आरोपी के विरुद्ध यह नहीं कहा था कि उसने उनकी बेटी को जहर दिया था।

प्रमुख कांस्टेबल सत्येंद्र तिवारी (गवाह–15) ने जिरह में स्वीकार किया कि यह सच है कि पंचनामा के समय मृतक के माता–पिता उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु जहर के कारण हुई थी।

29. आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने सह–आरोपी रामदास और श्यामजीरा, जो आरोपी के माता–पिता हैं, को बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता को उन्हीं सबूतों के आधार पर उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दर्शन सिंह (उपरोक्त) मामले में कंडिका 35 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–––––

"35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तरवादी–राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष रानी कौर को दोषमुक्ति के निर्णय को चुनौती नहीं दी है।न्यायालय ने निर्णय को स्वीकार कर लिया है और इसलिए, , दोषमुक्त होने का निर्णय अंतिम हो चुका है।राज्य एक ओर तो न्यायालय के इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता है कि रानी कौर की अपीलकर्ता के साथ उपस्थिति संदिग्ध है और दूसरी ओर, यह दावा भी नहीं कर सकता कि वे दोनों संयुक्त रूप से मौजूद थीं, उन्होंने साथ मिलकर अपराध किया और साथ ही भाग निकलीं।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरिप्रसाद उर्फ़किशन साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, (2024) 2** एससीसी 557 में प्रकाशित मामले में, कंडिका 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :––

"20. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने 1984 में शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) मामले में, जिसका अनुसरण अनेक निर्णयों में किया गया है, यह टिप्पणी की थी कि जहर से हत्या के मामले में, अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित चार परिस्थितियों को सिद्ध करना होगा:––

"(1) मृतक को जहर देने का आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य है,

(2) कहा जाता है कि मृतक की मृत्यु जहर देने से हुई,

(3) कि अभियुक्त के पास जहर था, (4) कि उसे मृतक को जहर देने का अवसर मिला।"

32. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि पीड़िता आरोपी के साथ गई और उसके घर जाकर पूरी रात उसके साथ रही।दोनों ज्ञापन और जब्ती के साक्षीयों पीडब्लू 11 द्वारिका सिंह और पीडब्लू 13 इंद्रलोक सिंह, आरोपी के ज्ञापन (एक्स पी/19) और जब्ती (एक्स पी/20 और 21) का समर्थन नहीं करते हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि चूहे मारने की दवा की नली गोबर के गड्ढे से जब्त की गई थी, जिसे आरोपी के घर के पास स्थित बताया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका कि यह चूहे मारने की दवा किसने और कहाँ से खरीदी थी।

33. राज्य के विद्वान धिवक्ता ने एफएसएल रिपोर्ट पर ज़ोर दिया, जिसमें वीर्य और चूहे मारने की दवा पाई गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि पीड़िता अपनी मृत्यु से पहले आरोपी के साथ थी।पीड़िता की मां ने उन्हें घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा, लेकिन उसके बाद आरोपी घर से चले गए और पीड़िता बाहर आकर चबूतरे पर बैठ गई। इसके अलावा इस संबंध में कोई और साक्ष्य नहीं है।पीड़िता की मां ने बताया कि पीड़िता ने खुद उन्हें बताया था कि आरोपी ने उसे जहर दिया था, लेकिन जांच के समय उसने यह तथ्य नहीं बताया गया। पहली बार उसने पुलिस को दिए अपने बयान (एक्स पी/1) में यह बात कही, जिसे अभियोजन पक्ष ने 3 दिन बाद 18.11.2017 को दर्ज किया था। डॉ. पैकरा (पी डब्लू -14) ने बताया कि पीड़िता के रिश्तेदारों ने कहा कि उसने चूहे मारने की दवा खाई थी। इसलिए सभी साक्षी के बयानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया और गलत निर्णय सुनाया गया, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय मान्य नहीं है।34. फलस्वरूप, अपील कों को स्वीकृति दी जाती है।दोषसिद्धि और दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 और आईपीसी की धारा 366 और 302 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. अपीलकर्ता जेल में है।यदि उसे किसी अन्य अपराध में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।

36. बीएनएसएस 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दे कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

37. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय हेतु वापस भेजा जाना चाहिए।अनुपालन तथा आवश्यक कार्रवाई।इस निर्णय की प्रति जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जेल अधीक्षक को भी भेजी जाए।

सही/-	सही/-
रजनी दुबे	अमितेंद्र किशोर प्रसाद
न्यायाधीश	न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur